प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 13.04.2026

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 पैकेट मोबाइल पार्टस, 01 स्विफ्ट डिजायर गाडी, 01 मोबाइल फोन व 20,000 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09-04-26 को वादी श्री मनप्रीत सिंह पुत्र सरहार परमजीत सिंह निवासी कानपुर रोड लखनऊ ने थाना लिंकरोड़ पर लिखित तहरीर दी और बताया कि मैने एक पार्सल दिनांक 18.03.26 को लखनऊ से बस संख्या UP32MN9124 से कौशांबी बस डिपो थाना क्षेत्र लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के लिए भेजा था वहां पर मेरे परिचित रामलाल को पार्सल रिसीव करना था परन्तु जब बस दिनांक 19.03.26 को प्रातः लगभग 7:00 बजे के करीब कौशांबी बस स्टॉप थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पहुँची तो मेरे परिचित रामलाल से पहलें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा पार्सल चोरी कर लिया गया। पार्सल में पैसे व मोबाइल फोन रिपेयरिंग का सामान था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.04.26 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तगण 1.मोहनलाल पुत्र परखराम निवासी ई-272 सैकण्ड फ्लोर गली नं0 02 शास्त्री पार्क थाना शास्त्री पार्क दिल्ली मूल पता ग्राम गोलिया थाना बागौडा जिला जालौर राजस्थान उम्र करीब 22 वर्ष 2. इकबाल उर्फ अभी सोलंकी पुत्र महमूद निवासी प्लॉट नं0 808 विष्णु कालोनी गली नं0 04 डिस्पेंसरी थाना सौडाला जिला जयपुर राजस्थान उम्र करीब 30 वर्ष 3. जवानाराम पुत्र हरदाराम निवासी ग्राम जूनिबाली बागौडा थाना बागौडा जिला जालौर राजस्थान उम्र करीब 30 वर्ष को कौशाम्बी बस अड्डे के पास चोरी किये गये पार्सल, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर गाडी, 20,000 रूपये नगदी व 01 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मोहनलाल उपरोक्त ने बताया कि साहब मै मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ मै दिल्ली में रामलाल चौधरी जिनकी करौल बाग में मोबाइल फोन पार्टस की दुकान है मै 2019 से रामलाल चौधरी की दुकान पर काम करता था तथा रामलाल चौधरी की दुकान मे फोन के कुछ पार्टस मनप्रीत सिहं जिनकी लखनऊ मे मोबाइल फोन की दुकान है तथा मनप्रीत सिंह की दुकान से मोबाइल पार्टस का सामान व रुपये पार्शल में कौशाम्बी बस अड्डे पर आते थे तथा रामलाल चौधरी को मुझ पर पूर्ण विश्वास था तो उन पार्शल को रामलाल चौधरी मुझे कौशाम्बी बस अड्डे पर लेने भेज देता था मै उन लखनऊ से भेजे गये पार्सलों को कौशाम्बी बस अड्डे से लाकर रामलाल चौधरी को लाकर दे देता था तथा उन पार्सल मे मोबाईल का सामान व रुपये होने की वजह से मेरे मन मे चालच आ गया था और मैने अपने इन दो साथी जवानाराम व इकबाल के साथ मिलकर उस पार्सल को कौशाम्बी बस अड्डे से चुराने की योजना बनाई थी तो दिनांक 19.03.2026 को सुबह के समय कौशाम्बी अड्डे पर लखनऊ से मनप्रीत सिहं का बस में पार्सल आ रहा था जिसको रामलाल चौधरी ने मुझे पार्सल लेने के लिये कौशाम्बी बस अड्डे जाने के लिये बताया था तो मैने अपने साथी जवानाराम व इकबाल के साथ मिलकर पार्सल को कौशाम्बी बस अड्डे से बस से चुरा लिया था और मैने रामलाल चौधरी को उस पार्सल को कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा चुराने की झूठी सूचना दे दी थी हम तीनो इसी स्विट डिजायर गाडी से उस पार्सल को चुराने के लिये आये थे उसके बाद हम उस पार्सल को लेकर ईधर उधर घूमते रहे आज हम यहाँ कौशाम्बी बस अड्डे पर इस पार्सल को बैचने की योजना व कोई नया टारगेट ढूढने के लिये यहाँ पर आये थे कि आपने हमे पकड लिया साहब उस पार्शल को हमने खोलकर उसमे रखे कुल 26500 रुपये मे से 24000 रुपये निकाल लिये थे बाकी 2500 रुपये उस पार्सल मे रख दिये थे और वह 24000 रुपये हम तीनो ने आपस मे बराबर -बराबर बांट लिये थे, हम इसी SWIFT DZIRE गाडी से आये थे और पार्सल लेकर इसी गाडी से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मोहनलाल पुत्र परखराम निवासी ई2 72 सैकण्ड फ्लोर गली नं0 02 शास्त्री पार्क थाना शास्त्री पार्क दिल्ली मूल पता ग्राम गोलिया थाना बागौडा जिला जालौर राजस्थान उम्र करीब 22 वर्ष।
2. इकबाल उर्फ अभी सोलंकी पुत्र महमूद निवासी प्लाट नं0 808 विष्णु कालोनी गली नं0 04 डिस्पेंसरी थाना सौडाला जिला जयपुर राजस्थान उम्र करीब 30 वर्ष।
3. जवानाराम पुत्र हरदाराम निवासी ग्राम जूनिबाली बागौडा थाना बागौडा जिला जालौर राजस्थान उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी का 01 पैकेट मोबाईल पार्टस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विट डिजायर गाडी, 20,000 रूपये नगदी व 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 12.04.2026 को थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त भारत उर्फ भरत पुत्र अनिल कुमार निवासी एम 32 इरशाद गार्डन गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम रजपुरा थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष को चोरी की मोटर साइकिल सहित गन्दे नाले की पुलिया के पास शालीमार गार्डन एक्ससेंशन -1 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण :- गिरफ्तार अभियुक्त भारत उर्फ भरत उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब जिस मोटरसाइकिल को मैं चला रहा हूँ यह मोटरसाइकिल मैंने नई सीमापुरी से से करीब 3- 4 दिन पहले चोरी की थी। मैं नशे का आदि हुं अपने शौक मौज पूरे करने के लिए चोरी करता हूँ मैं इसे आज बेचने जा रहा था कि आपने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भारत उर्फ भरत पुत्र अनिल कुमार निवासी एम 32 इरशाद गार्डन गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम रजपुरा थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त भारत उर्फ भरत उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 01 लाख 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक निरीक्षक श्री राजकुमार शर्मा तत्कालीन थाना कविनगर द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना के आधार पर विशेष लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार बखरवा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना कविनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/201/377 भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त पप्पू कुमार पुत्र रामसेवक निवासी पंचनौर ग्राम थाना बेलसंग, जिला सीतामणि बिहार को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-02, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 13.04.2026 को धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 5m पॉक्सो अधि0 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

अभियुक्त द्वारा नाबालिग बच्चे X के साथ दुष्कर्म करते हुए वादी के नाबालिग पुत्र Y द्वारा देख लेने के कारण अभि0 उपरोक्त ने वादी के नाबालिग पुत्र Y की गला दबा कर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 28.10.2018 को थाना कविनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।